क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	27/9/22	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. है आवश्यक रुप से जवाब प्रा. पत्र 7R11 हेतु पत्रावली दिनांक 4/10/22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)
	4/10/22	पत्रावली ... पी.ओ. साहब/कार्य ... मार्च (?) ... जनरल दिनांक ... अनुसार पत्रावली दिनांक 18/10/22 को पेश हो। Pooja
	18/10/22	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. है। जवाब प्रा. पत्र 7R11 हेतु समय चाहा जा रहा है। जवाब प्रा. पत्र हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब व बहस हेतु दिनांक 31/10/22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)
	31.10.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादिनीगण स्वयं उप. है। बाद निर्णय डिक्री प्रा. पत्र मय राजीनामा के साथ पेश किया व राजीनामा पेश किया जो संलग्न है। वकील वादी ने राजीनामा के आधार पर दावा वादी डिक्री कर दिया जावे व कथन किया कि वादिया/प्रतिवादीगण के बिच हुये राजीनामा बाद नामंजूर नहीं चलाना चाहते हैं व कोई न्यायालय की अवमानना राजीनामा कर लिया है इसलिए उक्त दावा डिक्री कर दिया जावे। वकील वादी एवं प्रस्तुत डिक्री राजीनामा के आधार पर दावा वादी डिक्री किये जाने में आपत्ति नहीं है। अतः दावा वादी विरुद्ध राजीनामा के आधार पर डिक्री (स्वीकृत) किया जाता है। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

Scanned with CamScanner